न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 145 / 2023

1 विजय सिंह उम्र 50 साल पुत्र स्व. असमान कंवर पुत्री स्व. सूरजन सिंह पत्नी जतन सिंह जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू। राज.।

2 करण सिंह उम्र 52 साल पुत्र स्व. असमान कंवर पुत्री स्व. सूरजन सिंह पत्नी स्व. जतन सिंह जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 भंवर सिंह उम्र 58 साल पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।

2 कृष्ण सिंह उम्र 52 साल पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।

3 भीम सिंह उम्र 51 साल जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।

4 भोपाल सिंह उम्र 53 साल पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।

5 सुमेर सिंह उम्र 54 साल पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।

6 श्रीमती बरफी देवी उम्र 80 साल पत्नी स्व. मूलसिह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी। मृतक (24.07.2024)

7 फूलसिंह उम्र 58 साल पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।

8 सार्दुल सिंह उम्र 54 साल पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

10 संतोष कंवर उम्र 35 साल पत्नी स्व. पृथ्वी सिंह पुत्र सव. असमान कंवर पत्नी स्व. जतन सिंह जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू। राज.।

11 आरती उम्र 15 साल नाबालिग जरिये माता कुदरती संतोष कंवर उम्र 35 साल पत्नी स्व. पृथ्वी सिंह पुत्र स्व. असमान कंवर पत्नी स्व. जतन सिंह जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

12 गुड़िया उम्र 13 साल नाबालिग जरिये माता कुदरती संतोष कंवर उम्र 35 साल पत्नी स्व. पृथ्वी सिंह पुत्र स्व. असमान कंवर पत्नी स्व. जतन सिंह जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

13 गुलाब कंवर उम्र 48 साल पुत्री स्व. असमान कंवर पत्नी स्व. जतन सिंह जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

14 (मृतक) जड़ाव कंवर पुत्री स्व. सूरजन सिंह पत्नी मूलसिंह उम्र 68 साल जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.09.2023
उनवानी प्रकरण भंवर सिंह आदि बनाम असमान कंवर
आदि मुकदमा नम्बर 88/2010

अपील संख्या 142/2024

1 विजय सिंह उम्र 50 साल पुत्र स्व. असमान कंवर पुत्री स्व. सूरजन सिंह पत्नी जतन सिंह जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू। राज.।

2 करण सिंह उम्र 52 साल पुत्र स्व. असमान कंवर पुत्री स्व. सूरजन सिंह पत्नी स्व. जतन सिंह जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।

अपीलांट्स

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बनाम

1 भंवर सिंह उम्र 58 साल पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।
2 कृष्ण सिंह उम्र 52 साल पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।
3 भीम सिंह उम्र 51 साल जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।
4 भोपाल सिंह उम्र 53 साल पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।
5 सुमेर सिंह उम्र 54 साल पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।
6 श्रीमती बरफी देवी, उम्र 80 साल पत्नी स्व. मूलसिह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी। मृतक (24.07.2024)
7 फूलसिंह उम्र 58 साल पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।
8 सार्दुल सिंह उम्र 54 साल पुत्र स्व. मूलसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कोठी तन जसरापुर तहसील खेतड़ी।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

रेस्पोडेन्टस

10 संतोष कंवर उम्र 35 साल पत्नी स्व. पृथ्वी सिंह पुत्र सव. असमान कंवर पत्नी स्व. जतन सिंह जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू। राज.।
11 आरती उम्र 15 साल नाबालिग जरिये माता कुदरती संतोष कंवर उम्र 35 साल पत्नी स्व. पृथ्वी सिंह पुत्र स्व. असमान कंवर पत्नी स्व. जतन सिंह जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
12 गुड़िया उम्र 13 साल नाबालिग जरिये माता कुदरती संतोष कंवर उम्र 35 साल पत्नी स्व. पृथ्वी सिंह पुत्र स्व. असमान कंवर पत्नी स्व. जतन सिंह जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 गुलाब कंवर उम्र 48 साल पुत्री स्व. असमान कंवर पत्नी स्व. जतन सिंह जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
14 (मृतक) जड़ाव कंवर पुत्री स्व. सूरजन सिंह पत्नी मूलसिंह उम्र 68 साल जाति राजपूत निवासी थिरपाली बड़ी तहसील बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 21.09.2023
उनवानी प्रकरण भंवर सिंह आदि बनाम असमान कंवर
आदि मुकदमा नंबर 88/2010 के प्रतिदावा की अपील

उपस्थिति :

1. श्री भंवर सिंह परमार, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बलवंत सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 3/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 88/2010 में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने एक वाद घोषणात्मक खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1510, 1519, 1521, 1523

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वाके ग्राम जसरापुर के संदर्भ में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दावा डिक्री कर दिया एवं काउंटर क्लेम खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की ओर से दावा डिक्री एवं काउंटर क्लेम के विरूद्ध यह अपीलें प्रस्तुत की गई है। काउंटर क्लेम के विरूद्ध अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि संवत 2012 से 2018 की विवादित खसरा नंबरान की जमाबंदी में खातेदार रामलाल सिंह पुत्र चतर सिंह दर्ज है तथा जमाबंदी संवत 215 से 2022 की जमाबंदी में खाना नम्बर 15 व 16 में नोट अंकित है इन्तकाल नम्बर 112 जो कि इन्तकाल नम्बर 112 रामलाल सिंह पुत्र चतर सिंह की मृत्यु होने से पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.04.1961 को भरा गया तथा दिनांक 25.04.1961 गिरदावर हल्का द्वारा इन्तकाल दुरूस्त पाया गया है तथा दिनांक 12.05.1963 (संवत 2020) को सरपंच जसरापुर द्वारा सर्वसम्मति से नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर स्व. रामलाल सिंह पुत्र चतर सिंह के दो पुत्र मालसिंह व सूरजन सिंह के नाम से तस्दीक किया गया। जिस नामान्तकरण को अपने जीवनकाल में मूलसिंह ने कभी भी चैलेज नही किया यदि सूरजन सिंह स्व. रामलाल सिंह के पुत्र नहीं होते तो मूलसिंह इस नामान्तकरण को अवश्य की चैंलेज करते इससे स्पष्ट जाहिर है कि सूरजन सिंह पुत्र स्व. रामलाल सिंह ही थे तथा मूल सिंह के सगे छोटे भाई थे। रामलाल सिंह की मृत्यु के बाद तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 12.05.1963 (संवत 2020) को आज तक किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार से चैलेज नहीं किया गया है जो कि काश्तकार रामलाल सिंह की मृत्यु होने से खातेदारी उसके दो पुत्र मूलसिंह व सूरजन सिंह के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में सही दर्ज हुयी है। मूलसिंह पुत्र रामलाल सिंह की मृत्यु होने से विवादित खसरा नम्बरान वादीगण के नाम से खातेदारी संवत 2043 में दर्ज हुयी है तथा जिसमें सूरजनसिंह पुत्र रामलाल सिंह हिस्सा 1/2 व भंवर सिंह, फूलसिंह, भोपाल सिंह, सुमेर सिंह, सादुल सिंह, कृष्ण सिंह, भीमसिंह पि. मूलसिंह, बरफी बेवा मूलसिंह हिस्सा 1/2 दर्ज हुयी है। इस प्रकार संवत 2043 में उक्त

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकार खातेदारी दर्ज होने पर भी वादीगण ने इस प्रकार दर्जशुदा सूरजन सिंह की खातेदारी को कभी भी किसी न्यायालय में चैलेज नहीं किया गया है। वादीगण ने अपने दावा में प्रतिवादी नम्बर 1 असमान कंवर व प्रतिवादी नम्बर 2 जड़ाव कंवर के पिता का नाम सुरजन सिंह अंकिया किया है इससे भी जाहिर है कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 स्व. सूरजन सिंह की ही पुत्रियां है। वादीगण द्वारा प्रदर्श–8 वसीयतनामा में सूरजनसिंह को रामलाल सिंह का पुत्र होना अंकित किया है व विवादित खसरा नम्बरान की भूमि को अपने नाम से वसीयत से आना बताया है तथा दुसरी तरफ सूरजन सिंह को रामलाल सिंह का पुत्र ही नहीं मान रहे है जो कि वादीगण का कथन अपने आप में विरोधाभाषी है। सूरजन सिंह 90 साल से भी अधिक जीवन जी कर खत्म हुये है तथा जिनके जीवनकाल में वादीगण व वादीगण के पिता मूल सिंह के दावा में अंकित झूठे तथ्यों बाबत कोई वाद पेश नहीं किया तथा सूरजन सिंह 90 साल से अधिक जिन्दा रहने के बाद मृत्यु होने के कारण तत्कालीन समय में किसी भी प्रकार का जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र न बनने व प्रतिवादिया नम्बर 1 व 2 अपने ससुरालल जाने से उनका विवरण पीहर में दर्ज होने की हिन्दू धर्म में कोई परम्परा न होने से व प्रतिवादयां नम्बर 1 व 2 वृद्ध व बेवा औरत होने के कारण उनके पीहर पक्ष में उनका हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार किसी भी प्रकार का अंकन दर्ज न होने से यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादिया नम्बर 1 व 2 स्व. सूरजनसिंह की पुत्रियां न हो इस तथ्य पर विचारण न्यायालय न किसी भी प्रकार का गौर न कर विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.09.2023 काबिले खारिज है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 ने अपने प्रतिदावा को अपनी साक्ष्य से व प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 9 से बखूबी साबित किया है कि विवादित खसरा नम्बरान की भूमि वादियागण नम्बर 1 व 2 के पिता सूरजन सिंह की 1/2 हिस्से की है जिसमें वादियागण का हिस्सा 1/2 है इसके बावजूद भी प्रतिवादियागण नम्बर 1 व 2 का प्रतिदावा विधि व कानून से परे जाकर खारिज किया गया है इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.09.2023 काबिले खारिज है। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.09.2023 उनवानी प्रकरण भंवरसिंह आदि बनाम असमान कंवर आदि

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मु.नं. 88/2010 अपास्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादिया नम्बर 1 व 2 द्वारा पेशशुदा प्रतिदावा डिक्री किया जाने की आज्ञा फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने एक वाद घोषणात्मक खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1510, 1519, 1521, 1523 वाके ग्राम जसरापुर के संदर्भ में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दावा डिक्री कर दिया एवं काउंटर क्लेम खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की ओर से दावा डिक्री एवं काउंटर क्लेम के विरूद्ध यह अपीलें प्रस्तुत की गई है। विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 778, 781, 782, 785 किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 10 बिश्वा में रामलाल सिंह पुत्र चत्रसिंह कौम राजपूत सा.दे. की एकांकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। उक्त खातेदारी रामलाल सिंह का देहान्त होने पर उक्त वादग्रस्त भूमि में मूलसिंह सुरजनसिंह पि रामलाल सिंह कौम राजपूत सा.दे. हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड हुआ। रामलाल सिंह पुत्र चत्रसिंह के एक पत्र संतान मूलसिंह ही था, सुरजनसिंह को रामलाल सिंह ने रेवड़ चराने के लिए अपने पास अपने परिवार के सदस्य के रूप में रखा था। उक्त रामलाल सिंह की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि गत 778, 781, 782, 785 किता 5 कुल रकबा 34 बीघा 10 बिश्वा में मूलसिंह के साथ सुरजनसिंह का भी नाम बहिस्सा बराबर (प्रदर्श–3) दर्ज कर दिया गया जो विधिक वारिस की जांच किये बिना दर्ज किया गया प्रतीत हो रहा है, फिर उसके बाद भू–प्रबंध विभाग ने भी पैमाईश के दौराने उक्तानुसार ही पुनरावृति कर दी जो वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 व 4 के अधिकारों के विपरित है। नामांतकरण कार्यवाही एक फिस्किल प्रोसीडिंग है। नामांतकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामान्तकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व स्थापित करने के लिये पक्षकारों को सक्षम

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 धारा 133, 135 – वसियत के आधार पर नामांतकरण खोलना – अभिनिर्धारित जब वसीयत संदिग्ध, अपंजीकृत हो एवं उस मामले में आपराधिक कार्यवाही लंबित हो तो मृतक खातेदार के वारिसों को नामांतकरण में प्राथमिकता दी जानी चाहये– नामान्तकरण कार्यवाही एक फिस्किल कार्यवाही होने के कारण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नही करती– स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है। सूरजनसिंह, रामलाल का जायन्दा पुत्र नहीं है और रामलाल सिंह की मृत्यु होने पर रामलाल सिंह का एकमात्र पुत्र मूलसिंह उसका उत्तराधिकारी है। उक्त आशय का सुरजन सिंह ने अपने जीवनकाल में वादीगण व प्रतिवादी सं. 3, 4 के हक में वसीयतनामा (प्रदर्श–8) 20/– रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी से गवाहान पृथ्वीसिंह पु. जम्मन सिंह जाति राजपूत निवासी गोपाल जी की ढाणी तन श्यामपुरा व जगदीश सिंह पुत्र भगवत सिंह राजपूत निवासी जसरापुर ढाणी कोठी की उपस्थिति में तहरिर व तकमिल करवाया था। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व. मूलसिंह के अलावा वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार नही रहा है। उक्त मूलसिंह से पूर्व स्व. रामलाल सिंह की एकांकी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है। स्व. सुरजनसिंह के कोई पुत्र–पुत्री संतान नहीं थी। उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में स्व. सुरजनसिंह का नाम बिना विधिक प्रक्रिया के दर्ज हुआ है, क्योंकि स्व. रामलाल सिंह के एकमात्र जायन्दा पुत्र संतान मूलसिंह ही था। इसलिए वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादिया सं. 1 व 2 अधिकार सृजित होना नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। काउंटर क्लेम की अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया तथा जवाब दावा के समस्त तथ्यों को खण्डन करते हुए कथन किया कि रामलाल सिंह के दो पुत्र मूलसिंह व सूरजनसिंह थे तथा रामलाल सिंह की मृत्यु होने से फौतगी नामान्तकरण दिनांक 22.04.1961 को पटवारी हल्का द्वारा रामलाल सिंह के पुत्र मूलसिंह व सूरजन सिंह के नाम से भरा गया जिसे सर्व सम्मति से दिनांक 10.05.1963 को ग्राम पंचायत जसरापुर द्वारा तस्दीक किया गया। जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत 2015 से 2018 में दर्ज है व सूरजनसिंह को देहान्त होने पर नामान्तकरण संख्या 1207 दिनांक 05.06. 2010 को प्रतिवादिया नम्बर 1 व 2 के नाम से विवादित खसरा नम्बर की 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज करते हुए भरा गया।

संवत 2012 से 2018 की विवादित खसरा नम्बरान की जमाबंदी में खातेदार रामलाल सिंह पुत्र चतरसिंह दर्ज है तथा जमाबंदी संवत 2015 से 2022 की जमाबंदी में खाना नम्बर 15 व 16 में नोट अंकित है इन्तकाल नम्बर 112 जो कि इन्तकाल नंबर 112 रामलाल सिंह पुत्र चतर सिंह की मृत्यु होने से पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.04.1961 को भरा गया तथा दिनांक 25.04.1961 गिरदावर हल्का द्वारा इन्तकाल दुरूस्त पाया गया है तथा दिनांक 12.05.1963 (संवत 2020) को सरपंच जसरापुर द्वारा सर्वसम्मति से नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर स्व. रामलाल सिंह पुत्र चतर सिंह के दो पुत्र मालसिंह व सूरजन सिंह के नाम से तस्दीक किया गया। जिस नामान्तकरण को अपने जीवनकाल में मूलसिंह ने कभी भी चैंलेज नही किया यदि सूरजन सिंह स्व. रामलाल सिंह के पुत्र नहीं होते तो मूलसिंह इस नामान्तकरण को अवश्य की चैंलेज करते इससे स्पष्ट जाहिर है कि सूरजन सिंह पुत्र स्व. रामलाल सिंह ही थे तथा मूलसिंह के सगे छोटे भाई थे।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वादीगण ने अपने दावा में प्रतिवादी नम्बर 1 असमान कंवर व प्रतिवादी नम्बर 2 जड़ाव कंवर के पिता का नाम सुरजन सिंह अंकित किया है इससे भी जाहिर है कि प्रतिवादियागण नम्बर 1 व 2 स्व. सूरजन सिंह की ही पुत्रियां है।

विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का उपरोक्त विवेचित बिन्दुओं के संदर्भ में विवेचन विश्लेषण एवं निष्कर्ष अंकित किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जात है कि उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर